



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी, 2012—पौष 23, शक 1933

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2012

क्र. एफ-5-16-2011-1-पचपन.—दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद नियम, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 67 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“67. फीस-अधिनियम के अध्याय चार के अधीन देय फीस निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी :—

सारणी

स. क्र.	फीस का विवरण	पुनरीक्षित फीस
(1)	(2)	(3)
1.	रजिस्टर में प्रथम रजिस्ट्रीकरण हेतु फीस	रुपये 1200/- (रुपये एक हजार दो सौ मात्र)
2.	बाद में रजिस्टर कराई गई प्रत्येक अर्हता हेतु फीस	रुपये 250/- (रु दो सौ पचास मात्र)

(1)	(2)	(3)
3.	नवीकरण फीस के रूप में नाम के प्रतिधारण (रिटेंशन) हेतु फीस (दंत चिकित्सक, अधिनियम, 1948 की धारा 39 के अधीन).	रुपये 200/- (रुपये दो सौ मात्र) एक वर्ष के लिए अथवा रुपये 1000/- (रु. एक हजार) पांच वर्ष के लिए
4.	किसी वर्ष के लिए धारण (रिटेंशन) फीस का भुगतान न किए जाने के कारण नाम हटाए जाने के पश्चात् रजिस्टर में पुनः नाम लिखे जाने के लिए फीस (दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 42 के अधीन).	रुपये 100/- (रुपये एक सौ मात्र)
5.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभ्यर्पित करने में असफल रहने पर (दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 की धारा 50 के अधीन).	रुपये 50/- (रुपये पचास मात्र) प्रतिमाह
6.	उपनाम में परिवर्तन के रजिस्ट्रीकरण हेतु	रुपये 100/- (रुपये एक सौ मात्र)
7.	मुद्रित रजिस्टर की प्रत्येक प्रति हेतु (दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 की धारा 45 के अधीन).	रुपये 10/- (रुपये दस मात्र) प्रति पृष्ठ, न्यूनतम रुपये 500/- (रुपये पांच सौ)
8.	रजिस्टर में की प्रविष्टि की प्रत्येक सत्यापित प्रति हेतु.	रुपये 50/- (रुपये पचास मात्र) प्रति पृष्ठ
9.	प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति प्रदान करने (डुप्लीकेट) हेतु	रुपये 200/- (रुपये दो सौ मात्र)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2012

क्र. एफ-5-16-2011-1-पचपन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 जनवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd January 2012

No. F-5-16-2011-1-LV.—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Dentist Act, 1948 (XVI of 1948), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh State Dental Council Rules, 1969 namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 67, the following rule shall be substituted namely :—

“67 Fees.—The fees payable under chapter IV of the Act shall be in the following Table :—

TABLE

S. No.	Description of Fees	Revised fees
(1)	(2)	(3)
1	Fees for the first registration in the register	Rs. 1200/- (Rs. One thousand two hundred only)

(1)	(2)	(3)
2	Fees for every qualification subsequently registration	Rs. 250/- (Rs. Two hundred fifty only)
3	Fee for retention of name as a renewal fees (under section 39 of Dentist Act, 1948).	Rs. 200/- (Rs. Two hundred only) for one year or Rs. 1000 (Rs. one thousand) for five years
4	Fee for restoration to the register after removal of the name for non-payment of the retention fee for the year (under section 42 of Dentist Act, 1948).	Rs. 100/- (Rs. One hundred only)
5	Failure to surrender certificate of registration (under section 50 of the Dentist Act, 1948).	Rs. 50/- (Rs. Fifty only) (per month)
6	For registration of change of surname	Rs. 100/- (Rs. One hundred only)
7	For every copy of printed register (under section 45 of the Dentist Act, 1948).	Rs. 10/- (Rs. Ten only) per page minimum Rs. 500/- (Five hundred only).
8	For every certified copy of an entry in the register	Rs. 50/- (Rs. Fifty only) per page
9	For the grant of duplicate certificate	Rs. 200/- (Rs. Two hundred only)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. S. KUMRE, Dy. Secty.